

सेवा में,

दिनांक:-

रजिस्ट्रार जनरल,
मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

(द्वारा मा0 जनपद न्यायधीश, शाहजहाँपुर)


विषय:- कार विक्रय हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।
महोदय,

सादर अवगत कराना है कि मेरे द्वारा माह जनवरी, 2020 में मारुती CIAZ कार (UP32 LF 5201) लोन के माध्यम से क्रय की गयी, जिसकी सूचना ससमय मा0 न्यायालय को ई-सर्विस पोर्टल के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है।

उक्त के आलोक में सादर सूच्य है कि प्रार्थनी अपनी उल्लेखित कार को विक्रय करना चाहती है तथा ऑथोराइज्ड डीलर्स यथा Truevalue आदि द्वारा उक्त कार की बाजार मूल्य से कहीं कम मूल्य आंगणित किया जा रहा है, जिस कारण प्रार्थनी को अपनी कार ऑथोराइज्ड डीलर्स को न विक्रय कर किसी व्यक्तिगत क्रेता को विक्रय करनी पड़ रही है।

अतः सराम्मान निवेदन है कि प्रार्थनी को अपनी कार व्यक्तिगत क्रेता को विक्रय करने हेतु अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीया


(अंजिता सिंह चौहान)
अपर सिविल जज (जू0डि0),
कक्ष सं0-31, शाहजहाँपुर।